भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1978
17 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) का प्रकोप

1978 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन करने वाले किसानों को व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस रोग के बार-बार प्रकोप के कारण गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) क्या सरकार ने जलीय कृषि बीमा योजना, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में, के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;
(ग) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में उक्त बीमा योजना के तहत कितने झींगा मछली पालन किसान कवर किए गए हैं और पिछले तीन वर्षों में कुल कितने दावे संवितरित किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश के लिए राज्य - विशिष्ट जोखिम का मानदंड और प्रीमियम संरचना लागू करने का प्रस्ताव है; और
(ङ) व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस रोग को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को आंध्र प्रदेश में व्हाइट स्पॉट बीमारी के प्रकोप की पुनरावृति से वहां के झींगा किसानों को हुए गंभीर नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मत्स्यपालन विभाग**,** भारत सरकार ने जलीय जीव रोगों का समय पर शीघ्र पता लगाने, उनकी रिपोर्टिंग करने और उनके नियंत्रण के लिए एक मज़बूत फ्रेमवर्क बनाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत, मत्स्यपालन विभाग ICAR-नेशनल ब्यूरो ऑफ़ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ के माध्यम से कुल 33.78 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज (NSPAAD) को लागू कर रहा है। NSPAAD में देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रोग के जोखिम की पहचान, बेहतर रोग प्रबंधन और स्वस्थ जलीय इकोसिस्टम के प्रोत्साहन के लिए सिस्टमैटिक सरवेलन्स शामिल है। NSPAAD के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने "रिपोर्ट फिश डिजीज" नाम से एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। यह ऐप मत्स्य किसानों, फील्ड-लेवल के अधिकारियों और मत्स्य हेल्थ एक्सपर्ट्स को इंटीग्रेट करने और आसानी से जोड़ने के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान डिज़ीज़ सरवेलेन्स प्रोग्राम के तहत, फील्ड टीमें राज्य के विभिन्न इलाकों से हर दो हफ़्ते में एक्वाकल्चर के सैंपल इकट्ठा कर रही हैं। इन सैंपल्स को बाद में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फिशरीज़ टेक्नोलॉजी (SIFT), काकीनाडा में मौजूद निर्धारित रेफरल लैबोरेटरी में एनालाइज़ किया जाता है। 01 जनवरी 2025 से अब तक, पैसिव सर्विलांस कम्पोनेंट के तहत, चार सैंपल व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) के लिए पॉज़िटिव पाए गए हैं। इसके अलावा, एक्टिव सर्विलांस के तहत, आंध्र प्रदेश में कुल 23 सैंपल WSSV-पॉज़िटिव पाए गए हैं।

(ख) और (ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने व्यापक प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के घटक के रूप में आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM–MKSSY) के तहत, जलीय कृषि फसल बीमा सहायता को एकीकृत किया है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार इस योजना के निष्पादन और प्रगति के आकलन हेतु समय-समय पर समीक्षा भी करता है । आंध्र प्रदेश सरकार की जानकारी के अनुसार, राज्य में अभी 85 एक्काफार्मर जलीय कृषि फसल बीमा के तहत कवर हैं। 2025 में, 10 एक्काफार्मर को कुल ₹5.21 लाख के इंश्योरेंस क्लेम दिए गए, तथा 12 और क्लेम जारी करने के लिए स्वीकृत किए गए।

(घ) आंध्र प्रदेश के लिए राज्य-विशिष्ट जोखिम पैरामीटर या प्रीमियम संरचनाएं शुरू करने के लिए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) व्हाइट स्पॉट डिज़ीज़ में कमी लाने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (SPF) झींगा ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर , न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर , हैचरी और फार्म की स्थापना और उनके संचालन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें तटीय जलकृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और SPF सर्टिफिकेशन के लिए जारी दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) के आने, इन्फेक्शन और फैलने से रोकना और झींगा जलकृषि क्षेत्र और इसकी वैल्यू चेन को सुरक्षित रखना है।

बायोसिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए, सभी आयातित श्रिम्प ब्रूडस्टॉक और पैरेंटल पोस्ट-लार्वा का क्वारंटाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पैथोजन्स का आना और फैलना कम हो सके। इसके अलावा, सरकार ने प्रभावी मॉनिटरिंग, सरवेलेन्स और रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए श्रिम्प हैचरी, नौप्ली रियरिंग सेंटर (NRCs), और श्रिम्प फार्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है।

नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम की मदद से झींगा और पानी के सैंपल का रेगुलर PCR-बेस्ड डिज़ीज़ सर्विलांस किया जाता है, जिससे WSSV का जल्दी पता लगाकर उसे समय पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा, सरकार बीमारी का रिस्क कम करने, बायोसिक्योरिटी बढ़ाने और सस्टेनेबल एक्काकल्चर तरीकों को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी (BFT) और रीसर्क्युलेटरी एक्काकल्चर सिस्टम (RAS) जैसे वैकल्पिक कल्चर सिस्टम को बढ़ावा दे रही है।

*****